केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर

पोस्ट: बीछवाल औधोगिक क्षेत्र, बीकानेर (राजस्थान) 334 006

पत्रसंख्या :3(39)BK/2010/ दिनांक 04फरवरी,2014

निविदा प्रपत्र

1- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 25.02.2014 दोपहर 1.00 बजे
2- निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 25.02.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3- अरनेस्ट राशि : रू 20,000(रूपये बीस हजार मात्र)
4- निविदा की मान्य अवधि : 120 दिन
5- निविदा शुल्क : रू.500/-

मगरा, मारवाड़ी एवं चौकला सेक्टर की भेड़ों की चराई, रख रखाव, देखभाल तथा बाड़े की साफ-सफाई हेतु वार्षिक(जॉब कॉन्ट्रेक्ट) कार्य का विवरण

1. सक्षम अधिकारी (प्रभारी सेक्टर) के निर्देशानुसार चारागाह क्षेत्र में ही फार्म के अंदर ही भेड़ों को चराना होगा तथा भेड़ों से संबंधित जो भी कार्य होगा समय-समय पर प्रभारी सेक्टर के निर्देशानुसार करना होगा। सेक्टर के जानवरों के साथ अन्य निजी जानवर नहीं रखे जाऐंगे। भेड़ों की चराई का समय इस प्रकार रहेगाः

(अ) 15 मार्च से 14 अप्रेल तथा 15 जुलाई से 14 अक्टूबर सुबह 6:30 से सांय 6:30 बजे तक।

(ब) 15 अप्रेल से 14 जुलाई सुबह 5:00 से 11:00 बजे तक एवं सांय 4:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक।

(स) 15 अक्टूबर से 14 मार्च तक सुबह 8:00 से सांय 6:00 बजे तक।

2. चराई के बाद जानवरों को सक्षम अधिकारी द्वारा बताये गये स्थान पर रखना होगा एवं दिन व रात्रि की भेड़ों की रखवाली/चौकीदारी की ज़िम्मेदार भी स्वयं ठेकेदार की होगी।

3 सेक्टरों पर जानवरों को आँधी, बरसात, तुफान और अधिक सर्दी व गर्मी से बचाव के लिये सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार व्यवस्था करनी होगी।

4. भेड़ों को चराने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा बताये गये निर्देशानुसार खेजड़ी/पेड़ों की टहनियाँ जिनकी मोटाई लगभग एक इंच तक होगी, काटनी होगी।

5. भेड़ो के रेवड़ को चराने की व्यवस्थाः

(क) मेढ़ों का रेवड, मेमनो का रेवड़, ब्याई हुई भेड़ों का रेवड़, ग्याभिन भेड़ों का रेवड़, बिना ब्याह हुई भेड़ों का रेवड़ ,मादा होगेट का रेवड़ तथा नर होगेट का रेवड़ अलग-अलग चराने होंगें।

(ख) उक्त रेवड़ के समूह को ठेकेदार के द्वारा इन्हें मिलाये जाने पर पूरे मिले हुये जानवरों के उस दिन की चराई के दुगने पैसे ठेकेदार के बिल में से काट लिये जायेगें।

6. भेड़ों के बाड़े की सफ़ाई रोज़ करनी होगी तथा खाद, कचरा आदि बताये गये स्थान पर डालना होगा तथा पानी की टंकी और खेलियों की सफ़ाई भी रोज करनी होगी। ठेकेदार को सफाई कार्य हेतु अतिरिक्त मजदूर सेक्टर पर लगाना होगा। जो कि सेक्टर पर नियमित रूप से बाड़ों पर झाड़ू लगना सफाई आदि का काम करेगा व साथ ही जब कभी कोई मृत भेड़ हो तो उसे उठाना व जीप की ट्राली में डालना व मृत भेड़ की चीरफाड़ कर शव परीक्षण में अधिकारी को सहयोग करने जैसे कार्य करेगा।

7. चराई के अलावा निम्न कार्यों के लिये ठेकेदार को अतिरिक्त मज़दूरों की व्यवस्था करनी होगीः

(अ) भेड़ों को दवा के पानी से नहलाने का कार्य वर्ष में कम से कम दो बार तथा ऊन कल्पन से पहले साफ़ पानी से नहलाने का कार्य करना होगा तथा इन कार्य के लिये डिपिगं टैंक की सफ़ाई भी करनी होगी। यह कार्य चराई के समय से अतिरिक्त होगा।

(ब) बीमार जानवरों के इलाज और देखभाल, टीके लगाने, दवा पिलाने तथा सेक्टर पर बीमार जनवरों को दाना पानी प्रबंध के लिए।

(स) आवश्यकतानुसार भेड़ों, मेमनों और मेढ़ों का वज़न करना, ऊन कल्पन के समय भेड़ों को पकड़ने में सहायता करना, जांच हेतु भेड़ों का रक्त लेने तथा ऊन के नमूने लेने इत्यादि।

लगातार 2.....

(द) भेड़ों की प्रजनन के समय में सुबह सांय मेढ़ों को निर्देशानुसार मादा भेड़ों के रेवड़ में छोड़ना, गर्म भेड़ों को अलग करना एवं भेड़ों का प्रजनन कराना आदि।

(च) नवजात मेमनों की देखभाल, टेग लगाना एवं पूंछ काटने का कार्य।

(छ) दाना भण्डार से सेक्टर तक पहुंचाने का और खाली करना व फोडर शेड में व्यवस्थित ढंग से रखना।

(ज) चारा शेड से चारा बाड़े में भेड़ों के खाने के लिये पहुंचाना।

(झ) आवश्यकता पड़ने पर दाना/चारा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर पहुंचाना।

(ट) संस्थान में बाहर से आने वाले चारे/दाने को सेक्टर पर खाली करना तथा ठेकेदार द्वारा डाला जाने वाला चारा भी फोडर शेड में आगे खिसकाना होगा।

(ठ) आवश्यकतानुसार हरे चारे की कुतर करके जानवरों को डालनी होगी।

(ड़) भेड़ों को ब्याते ही या ब्याने वाली भेड़ों के लिये छोटे-छोटे बाड़े बनाना।

(ढ) पेड़ों की छटाई करना इत्यादि।

(ण) वर्ष में एक बार भेड़ों के शेड के ऊपर माह मार्च या अप्रैल में खीप काटकर लगाने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

(त) सेक्टर पर दिन एवं रात्रि की चौकीदार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(थ) वर्ष में दो बार सभी बाड़ों की खुदाई (कम से कम छः इन्च) करके मिट्टी को बाहर डालनी होगी तथा बाहर से ताजी मिट्टी बाडो में डालनी होगी।

(द) रात्रि के चौकीदार को टार्च एवं लाईट की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

उक्त कार्यों के लिये ठेकेदार द्वारा मज़दूरों का समय पर प्रबंध न होने पर उसका हर्जाना ठेकेदार के बिल में से काट लिया जायेगा। इस स्थिति में उक्त कार्यों को करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा लगाये गये आदमियों की मज़दूरी का भुगतान ठेकेदार को करना होगा यदि ठेकेदार मज़दूरी का भुगतान नहीं करता है तो सक्षम अधिकारी संस्थान द्वारा भुगतान करके उक्त राशि ठेकेदार के बिल में से काट ली जायेगी। यह उपरोक्त हर्जाने के अलावा होगा।

8. भेड़ों के चारागाह क्षेत्र में ब्याते ही उसे तुरंत सेक्टर पर लाना होगा। चरागाह क्षेत्र में यदि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना तुरंत सक्षम अधिकारी को देनी होगी।

9. किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी अविलम्ब सूचना तुरंत अधिकारी को देनी होगी ताकि समय पर उपचार किया जा सके। जानवर बीमार होने की सूचना समय से न देने से यदि जानवर की मृत्यु हो जाती है तो इसकी ज़िम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी तथा इसका जो भी हर्जाना होगा स्वयं ठेकेदार को भरना होगा।

10. इस समय इस संस्थान में मगरा, मारवाडी एवं चौकला सेक्टर हैं। तीनों सेक्टर पर भेड़ों की चराई की दर अलग-अलग देनी होगी। चोकला सेक्टर पर भेड़ों की संख्या लगभग 400, मारवाडी सेक्टर पर भेड़ों की संख्या लगभग 750 एवं मगरा सेक्टर पर भेड़ों की संख्या लगभग 650 पर होने की सम्भावना है। यह संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भांति पढ ली है तथा मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। उपरोक्त सभी कार्यों हेतु मेरी दर निम्न प्रकार होगी।

1- चोकला सेक्टर पर भेड़ों की संख्या लगभग 400 की दर रूपये _____(अक्षरे रूपये__ ___ ___ _____) प्रति भेड प्रति माह होगी।

2- मारवाडी सेक्टर पर भेड़ों की संख्या लगभग 750 की दर रूपये _____(अक्षरे रूपये__ ___ ___ _____) प्रति भेड प्रति माह होगी।

3- मगरा सेक्टर पर भेड़ों की संख्या लगभग 650 की दर रूपये _____(अक्षरे रूपये__ ___ ___ _____) प्रति भेड प्रति माह होगी।

हस्ताक्षर निविदा प्रस्तुतकर्ता:_____

नाम:_____

_____

मोबाईल:_____

लगातार----3/-

संस्थान के सेक्टर की भेड़ों की चराई, रख रखाव, देखभाल तथा बाड़े की सांफ-सफाई हेतु वार्षिक(जॉब कॉन्ट्रेक्ट) के नियम व शर्तें:-

1. यह वार्षिक अनुबंध दिनांक 01.03.2014 या जारी होने की तिथि से 31.3.2015 तक मान्य होगा लेकिन प्रभागाध्यक्ष /निदेशक को इस अनुबंध की अवधि को किसी भी पूर्व सूचना के घटाने/बढाने या अनुबंध को कभी भी रद्ध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा और ठेकेदार को मान्य होगा।

2. ठेकेदार को कार्य पर लगाये जाने वाले श्रमिकों का सम्पूर्ण बायोडाटा फार्म मय सत्यापित फोटो परिचय पत्र व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर के साथ कार्यालय में ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराना होगा। ठेकेदार एवं उसके श्रमिकों के द्वारा संस्थान के कर्मचारियों के साथ शिष्ठता का व्यवहार वांछनीय है। ठेकेदार केवल बालिग, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य श्रमिकों को ही कार्य पर लगाएगा। ठेके के दौरान ठेकेदार किसी मज़दूर को बदलता है तो इसकी पूर्व सूचना सक्षम अधिकारी को देनी होगी। ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित करना होगा कि ठेके के कार्य सही तरीके से सम्पन्न हों तथा किसी मज़दूर के कार्य पर न आने पर उसकी जगह दूसरा मज़दूर देना होगा। मज़दूरो की संख्या कम होने पर रूपये 500/- प्रति मजदूर प्रतिदिन की दर से राशि बिल में से काट ली जायेगी।

3. ठेके के दौरान ठेकेदार या उनके आदमियों को संस्थान से किसी भी प्रकार की वस्तुओं (घास, लकड़ी, खाद, ऊन व अन्य सामान) को बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी एवं जो भी हर्जाना होगा उसका भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

4. किसी भी हालत में मेढ़ों का रेवड़ भेड़ों से नहीं मिलेगा इस कारण यदि नाजायज़ मेमने पैदा होते हैं तो ठेकेदार को रू.1000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रति मेमने की दर से भरना होगा।

5. सेक्टर पर रखे दाना, चारा जिसमें हरा चारा, सुखा घास, दवाईयॉ इत्यादि शामिल हैं, कि सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान जैसे चोरी, आग लगना, जंगली/बाहरी जानवरों द्वारा चरने से हुए नुकसान की पूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।

6. चराई क्षेत्र एवं सेक्टरों पर जानवरों को किसी प्रकार के जंगली जानवरों/कुत्तों से सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि भेड़ों को किसी भी प्रकार का जंगली जानवरों/कुत्तों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है या चोरी हो जाने की स्थिति में या चारागाह में छूट जाए और बाद में नहीं मिले और उनके मरने के बारे में कोई ठोस सबूत न मिले। ठेकेदार से ऐसे जानवरों को कुल क़ीमत से दुगनी रक़म वसूल करने के अतिरिक्त कनूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

7. ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का हर्जाना चाहे वो जानवरों से संबंधित हो या अन्य हो 15 दिनों के अंदर संस्थान में जमा कराना होगा। अन्यथा हर्जाना उसके मासिक देय बिल में से या घरोहर राशि से काट लिया जाएगा।

8. ठेकेदार के फ़ार्म में कार्यरत मज़दूरों के अलावा अन्य व्यक्तियों को फ़ार्म में नहीं आने दिया जाएगा। तथा सेक्टर पर चौकीदारी के अलावा रात्रि के समय अन्य व्यक्ति नही रहेगें।

9. ठेकेदार को लगाये गये मजदूरों के अतिरिक्त प्रतिदिन सेक्टर पर ठेकेदार का या उसके आदमी को रहना होगा ताकि सेक्टर प्रभारी के निर्देशों की उचित पालना हो सके अथवा प्रत्येक दिन प्रातः ठेकेदार को स्वयं उपस्थित रहना होगा।

10. कार्य अवधि में अगर सेक्टर/क्षेत्र या संस्थान के किसी भी कार्य में ठेकेदार की ओर से किसी भी तरह का व्यवधान महसूस किया जाता है तो निविदा अवधि से पूर्व में ही ठेका रद्ध किया जा सकता है तथा इस परिस्थिति में ठेकेदार की जमा जमानत राशि ज़ब्त की जा सकती है।

11. उक्त कार्य का भुगतान मासिक आधार पर संतोषप्रद होने पर ही किया जायेगा।

12. ठेकेदार को अनुबंध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

पालन

लगातार ----4/-

13. भेड़ चराने से संबंधित अनुभव रखने वाले ठेकेदार को प्राथमिकता दी जाएगी।

14. धरोहर राशि, जो की ठेके की वार्षिक संपूर्ण राशि का 10% तुरंत बाद जमा करानी होगी साथ ही सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस अनुबंध तथा उसकी शर्तों को स्वीकार करने का एग्रीमेन्ट पंजीकृत पब्लिक नोटरी से सत्यापित कार्यालय में तुरन्त पेश करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त समझा जायेगा और जमा अरनेस्ट राशि जब्त कर ली जायेगी। धरोहर राशि ठेका संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद ही लौटाई जाएगी। अन्यथा ज़ब्त कर ली जाएगी।

15. सशर्त निविदा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

16. अनुबंधकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिक विभाग के नियमानुसार उसका पंजीकरण है तथा पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी

17. ठेकेदार को हर माह फार्म XVIII जो कोन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 द्वारा निर्धारित है मजदूरों को भुगतान करने वाले रिकार्ड रजिस्टर की एक सत्यापित फोटो कॉपी बिल के साथ संलग्न कर भेजनी होगी, अन्यथा बिल का भुगतान नहीं होगा।

18. प्रति माह उपरोक्त मजदूरों का भुगतान करने का रिकार्ड लेबर इनफोर्समेन्ट ऑफिसर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर उनसे बिल पर भुगतान करने की सिफारिश करवानी होगी तभी बिल का भुगतान सम्भव होगा।

19. इसके अलावा कार्य से सम्बन्धित प्रभारी के प्रत्येक आदेशों की पालना करनी होगी।

20. उपरोक्त शर्तों के अलावा भी अनुबंध से सम्बन्धित और भी कोई शर्त आवश्यकता हो तो जोड़ी जा सकेगी।

21. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत टेण्डर में अंकित न्यूनतम दर व अनुभव के आधार पर तथा संस्थान हित में कोई भी टेण्डर संस्थान के द्वारा स्वीकार या रद्ध किया जा सकता है और यह शर्त प्रत्येक निविदा दाता को मान्य होगी।

22. निविदा के साथ रूपये 20,000/- अरनेस्ट राशि बतौर डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में तथा पंजाब नेशनल बैंक बीछवाल शाखा, बीकानेर में भुगतान योग्य हो, निर्धारित तिथि एवं समय तक क्रय एवं भण्डार अनुभाग में रखे टेण्डर बॉक्स में डालना होगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। यदि निविदा प्रपत्र बेवसाइट से लिया जाता है तो निविदा प्रपत्र का शुल्क रू.500/- का अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

23. प्रभागाध्यक्ष/निदेशक को बिना कारण बताए कोई भी टेण्डर स्वीकार या रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित होगा। अनुबंध को कभी भी बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है तथा किसी प्रकार का विवाद होने पर ठेकेदार को संस्थान/परिषद का निर्णय ही ठेकेदार को मान्य होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

उपरोक्त सभी नियम व शर्ते मुझे मंजूर हैं। इन्हे मैंने अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है।

हस्ताक्षर निविदा प्रस्तुतकर्ता:_____

नाम:_____

मोबाईल:_____